

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 80/2016

दायर दिनांक-11-04-2016

1. मुलचन्द पुत्र गणपत जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तन मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

- वादी

बनाम

1. झाबर
2. हणमान
3. महीपाल
4. फूला पुत्रान् मुन्ना
5. रामावतार पुत्र भागीथ
6. विमला पत्नी भागीरथ
7. नरेश पुत्र भोलाराम
8. प्रमेश्वरी पत्नी भोलाराम
9. गणपत पुत्र हरजी (फौत)
- 9/1 शिशराम
- 9/2 वीरबल सिंह
- 9/3 सुभाष चन्द्र
- 9/4 शांती
- 9/5 मन्नी
- 9/6 सुभिता पुत्रियां गणपत पौत्री हरजी
- 9/7 चान्दकोरी पत्नी करणीराम पुत्र वधु गणपत
- 9/8 सुशीला देवी पत्नी करणीराम पुत्र वधु गणपत
- 9/9 प्रदीप कुमार पुत्र करणीराम पौत्र गणपत
- 9/10 बबीता कुमारी
- 9/11 रीना कुमारी पुत्रियां करणीराम पौत्री गणपत नाबालिक जरिये संरक्षक माता सुशीला देवी प्रतिवादिया संख्या 8 समस्त जाति जाट निवासी बासावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज.)
11. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा नवलगढ़।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री विजेन्द्र सिंह दूत
वकील प्रतिवादी : - श्री सुरेन्द्र सिंह भर्मा

दावा बाबत कृषि भूम का विधिवत विभाजन,
स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 19-02-2021

वाद वादी दिनांक 26.08.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोक कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2020/1112 दिनांक 10.08.2020 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील पक्षकारान् द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 983, 984, 985, 986, 988, 990 रकबा क्रमशः 0.24, 0.62, 0.03, 0.24, 0.53, 0.47 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 2.13 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 988 रकबा 0.5300 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम लगान 3.28 का मूलचन्द्र पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तन मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 983, 984, 985, 986, 990 रकबा क्रमशः 0.24, 0.62, 0.03, 0.24, 0.47 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.6000 हैक्टर का आबर, फूला, महीपाल, हणमान पिता मुन्ना हिस्सा 2/9, परमेश्वरी पत्नी स्व. भोलाराम, नरेश पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/18, विमला पत्नी स्व. भागीरथ, रामावतार पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/18, चान्दकोरी पत्नी गणपत, शिशराम, बीरबल, सुभाषचन्द्र पिता गणपत हिस्सा 1/3, शांती, मन्नी, सुभिता पुत्रिया गणपत हिस्सा 1/4, सुशीला देवी पत्नी करणीराम, प्रदीप कुमार पुत्र करणीराम हिस्सा 1/24, बबीता कुमारी, रीना कुमारी पुत्रियां करणीराम हिस्सा 1/24 जाति जाट साकिन देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपस्थान्त अधिकारी
नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलारा नवलगढ
श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

**दावा बाबत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन,
स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर 80/2016

(मूलचन्द बनाम झाबर वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरु श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिव मुद्दई रूबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्की दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.02.2021 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 983, 984, 985, 986, 988, 990 रकबा क्रमशः 0.24, 0.62, 0.03, 0.24, 0.53, 0.47 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 2.13 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 988 रकबा 0.5300 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम लगान 3.28 का मूलचन्द पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तन मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 983, 984, 985, 986, 990 रकबा क्रमशः 0.24, 0.62, 0.03, 0.24, 0.47 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.6000 हैक्टर का झाबर, फूला, महीपाल, हणमान पिता मुन्ना हिस्सा 2/9, परमेश्वरी पत्नी स्व. भोलाराम, नरेश पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/18, विमला पत्नी स्व. भागीरथ, रामावतार पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/18, चान्दकोरी पत्नी गणपत, शिशराम, वीरबल, सुभाषचन्द्र पिता गणपत हिस्सा 1/3, शांती, मन्नी, सुमिता पुत्रिया गणपत हिस्सा 1/4, सुशीला देवी पत्नी करणीराम, प्रदीप कुमार पुत्र करणीराम हिस्सा 1/24, बबीता कुमारी, रीना कुमारी पुत्रियां करणीराम हिस्सा 1/24 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद वशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करे।

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.02.2021 को जारी की गई।

अनूप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
महल नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कृमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुताफरिक मिजान	6.00	मुताफरिक मिजान	0.00